राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक :– प.4(129)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 जयपुर, दिनांक : 30/03/2020

स्वीकृति संख्या 776 / 2019–20

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 2100.00 लाख (अक्षरे रूपये ईक्कीस करोड़) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें।

(राशि रूपये लाखों में)

मांग संख्या – 30

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि(केन्द्रीय सहायता)
1.	4225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 – जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (11)– संविधान अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.) [01]– आश्रम एवं छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	क्रमांक–एफ.6/ सी.टी.ए.डी/ लेखा/बजट/प्रस्ताव/ 275(1) / 2019–20/दिनांक 24.03.2020 117 / 2019–20	200.00
2.	[13] –एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव 17 – वृहद निर्माण कार्य	118 / 2019–20	1600.00
3.	[17] – राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य 17 – वृहद निर्माण कार्य	119 / 2019–20	200.00
4.	[18]– टी.ए.डी. भवनों का निर्माण विस्तार एवं नवीनीकरण 17 – वृहद निर्माण कार्य	120 / 2019–20	200.00
		योग	2100.00

(अक्षरे रूपये ईक्कीस करोड़ मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5183222, आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227758
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fb.adgenerale@rajasthan.gov.in